ISSN 0974-0694

भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका

INDIAN RESEARCH JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

VOL 15 No. 1 December 2008

डॉ0 रामदेव त्रिपाठी
प्रधान सम्पादक

सरयूपार सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, बस्ती (उ0प्र0) भारत
SARYUPAR ASSOCIATION OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, BASTI (U.P.) INDIA
Registration No. 571/1988

ISSN : 0974-0694

भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका

INDIAN RESEARCH JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

VOL. 15 No. 1 December 2008

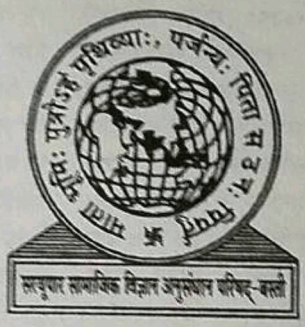

डॉ0 रामदेव त्रिपाठी
प्रधान सम्पादक

सरयूपार सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, बस्ती (उ0प्र0) भारत
SARYUPAR ASSOCIATION OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, BASTI (U.P.) INDIA
Registration No. 571/1988

महिला सशक्तिकरण की वास्तविकता

डॉ0 शम्भू राम*
डॉ0 राजेश कुमार सिंह**

महिलाएं उत्पादिका, पोषिका, गृहस्थ आश्रम की संचालिका, शक्ति स्वरूपा और सृष्टि को मूर्त रूप देने वाली है। यदि नारियों के अधिकारों की सुरक्षा होती है तो परिवार, ग्राम, राष्ट्र और विश्व का सर्वांगीण विकास होता है। नारी जाति पर विचार करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक कार्य प्रारम्भ किये हैं। महिलाओं के सन्दर्भ में विश्व मानव अधिकार की व्यवस्थाएं इसी के द्वारा क्रियान्वित की जाती है। मानवाधिकार विश्व मानवता के पक्ष में उसके संरक्षण एवं संवर्द्धन पर बल देते हैं। विकासशील देशों में समुन्नत विकास के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध महिलाओं की अपेक्षित स्थिति का न होना है। आदर्श विश्व की स्थापना केवल पुरूष नहीं कर सकते, वरन् महिलाओं की सहभागिता नितान्त आवश्यक है। यह तभी हो सकता है जब महिलाओं की उन्नति एवं उनके सम्मान को संरक्षित एवं संवर्द्धित किया जाये। इस सन्दर्भ में महिलाओं पर आधारित प्रथम सम्मेलन **मैक्सिको** (1975), द्वितीय **कोपेनहेगेन** (1980), तृतीय **नैरोबी** (1985), चतुर्थ **बीजिंग** (1990) में हुए, जिनमें क्रमशः समानता, विकास तथा शान्ति, शिक्षा नियोजन तथा स्वास्थ्य, अग्रिमगामी रचना कौशल, महिलाओं की निर्धनता, शिक्षा के अपर्याप्त एवं असमान अवसर, स्वास्थ्य की अपर्याप्त एवं असमान सुविधाएं, महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, आर्थिक संरचना एवं नीतियों में महिलाओं की अल्प सहभागिता, शक्ति एवं निर्णय निर्माण में असमान सहभागिता, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के प्रति जानकारी एवं प्रतिबद्धता का अभाव, समाज में महिलाओं के योगदान का मीडिया द्वारा प्रसारण में पर्याप्त महत्व न देना आदि विद्यमान है। यद्यपि कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था और संयुक्त राष्ट्र महासभा इनके अधिकारों के प्रति निरन्तर चिन्तित है। वर्तमान विश्व के अनेक संगठनों और सहयोगों तथा सरकारी प्रयासों के कारण महिलाओं के अधिकारों में परिवर्तन अवश्य हुए हैं, परन्तु पर परिवर्तन बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं है।

भारत में महिला सशक्तिकरण कि अवधारणा की विधिवत् शुरूआत 1985 में सम्पन्न **नैरोबी** के उस **अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन** में आई, जिसमें नारी सशक्तिकरण पर बल दिया गया था। वैसे तो भारत में स्वतंत्रता से पूर्व भी बंगाल सती कानून (1829), हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856), विशेष विवाह अधिनियम (1872), बाल विवाह उन्मूलन अधिनियम (1929), हिन्दू महिला सम्पत्ति अधिकार अधिनियम (1937) और हिन्दू विवाह अयोग्यता कानून पारित हो चुके थे। स्वतंत्र भारत में महिलाओं के अधिकार संरक्षण के लिए भारतीय संसद ने अनेक कानून बनाये। यथा-विशेष विवाह कानून (1954), हिन्दू विवाह कानून (1955 56), हिन्दू बाल संरक्षण कानून (1956), हिन्दू बाल विवाह प्रतिरोधक कानून (1956), अनैतिक देह व्यापार निरोधक कानून (1956), दहेज प्राविधान कानून (1961) आदि। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (1956) में सन् 2005 में संशोधन करते हुए पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को भी वही अधिकार दिया गया है, जो पुत्र को प्राप्त था। इस अधिनियम में पूर्व में मृत पुत्री की सन्तानों को वही अधिकार दिया गया, जो पूर्व में मृत पुत्र के सन्तानों को प्राप्त है। सन् 2005 में संसद ने महिलाओं को घरेलू उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने हेतु विधेयक पारित किया। इसके अन्तर्गत महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, मौखिक, आर्थिक तथा यौन उत्पीड़न सहित सभी तरह की पारिवारिक एवं सामाजिक हिंसा से संरक्षण प्रदान करने का प्राविधान किया गया है।

उपर्युक्त के सन्दर्भ में पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का भी प्राविधान दिया गया है। महिलाओं को और भी अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 15 फरवरी 2006 को विवाह का पंजीयन अनिवार्य करके दिया। न्यायिक स्तर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक मील का पत्थर है। इससे पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग ने विवाह पंजीयन पर केन्द्रीय कानून बनाने की अनुशंसा की थी। इस कानून के बन जाने पर पुरूषों द्वारा विवाह को नकारने की घटनाओं पर रोक लग जायेगी। इसके बन जाने से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि ससुराल जनों अथवा पति के द्वारा विवाह को नकारने की स्थिति में विवाह को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी महिला पर न होकर न्यायालय की होगी। केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व महिलाओं की गिरफ्तारी को कानून के विरूद्ध बताया गया है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व

*रीडर एवं विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, राजा हरपाल सिंह पी.जी. कॉलेज, सिंगरामऊ, जौनपुर (उ0प्र0)
**प्रवक्ता, राजनीति शास्त्र, राजा हरपाल सिंह पी.जी. कॉलेज, सिंगरामऊ, जौनपुर (उ0प्र0)

महिलाओं की गिरफ्तारी अपरिहार्य परिस्थितियों में ही हो सकती है। बाल-विवाह प्रतिरोध विधेयक (2004), राज्य सभा द्वारा (दिसम्बर, 2006) में पारित किया जा चुका है, जिसके अनुसार बाल-विवाह कराने वाले माता-पिता के लिये दण्ड का प्राविधान है। साथ ही ऐसे विवाह से असन्तुष्ट महिला की शिकायत पर विवाह को शून्य ठहराये जाने का भी प्राविधान है।

स्त्रियों के अधिकारों को संरक्षित करने तथा उन्हें विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने वाली संवैधानिक व्यवस्थाओं का विवरण इस प्रकार है -

1. अनुच्छेद-14 में व्यक्ति को विधि के समक्ष अथवा विधि के समान संरक्षण का आदेश राज्य को दिया गया है। यह अनुच्छेद महिला तथा पुरूष दोनों के मामले में लागू होता है।
2. अनुच्छेद-15 में कहा गया है कि राज्य द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के हितों को देखते हुए बनाया गया कोई कानून इस अनुच्छेद के विरूद्ध नहीं माना जायेगा।
3. अनुच्छेद-16 में महिलाओं और पुरूषों के समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की व्यवस्था है। साथ ही लोक नियोजन में पुरूष तथा महिला को समान अवसर दिये जाने का निर्देश है।
4. अनुच्छेद-23, 24 में नारी के शोषण, बलात् श्रम, महिलाओं का क्रय-विक्रय इत्यादि पर रोक लगाये जाने का निर्देश है।
5. अनुच्छेद-39 के अनुसार राज्य ऐसी नीतियों का निर्माण करेगा जिससे स्त्री-पुरूष दोनों के जीवन-निर्वाह की स्थितियां बनें तथा दोनों को ही समान कार्य के लिए समान वेतन मिल सके।
6. अनुच्छेद-42 के अनुसार महिलाओं को प्रसूति में वे सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उन्हें मानवीय आधार पर आवश्यक हों।

संविधान में प्रदत्त महिलाओं के अधिकारों को सम्यक ढंग से क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर कानूनों का निर्माण किया जाता रहा है। कन्या भ्रूणों को प्रसव के पूर्व ही नष्ट कर दिये जाने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा प्रसव पूर्व निदान तकनीकि अधिनियम (1994) लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रसव पूर्व भ्रूण लिंग जांच अवैध कर दिया गया है। महिलाओं को वेश्यावृत्ति से मुक्ति दिलाने के लिए वेश्यावृत्ति अधिनियम (1955), अनैतिक देह व्यापार अधिनियम (1959) पारित किये गये। सन् 1959 के अधिनियम को 1986 में संशोधित कर दिया गया। दहेज की कुप्रथा को समाप्त कर देने के उद्देश्य से दहेज निषेध अधिनियम (1961) तथा महिलाओं को प्रसूति सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम (1961) लागू किया गया। सती निषेध अधिनियम (1987), बाल विवाह निषेध अधिनियम (1976), सती निषेध अधिनियम (1986) लागू किया गया।

सन् 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया। यह विभाग महिला एवं बच्चों के विकास की देख-देख के लिए एक नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करता है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के अवैध, व्यापार योन-उत्पीड़न तथा महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अन्य अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण के लिए सन् 1998 में राष्ट्रीय कार्यवाही योजना तैयार की गयी थी। इसके अन्तर्गत दुराचार की शिकार स्त्रियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग में एक केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किया है, जो विभाग के सचिव की अध्यक्षता में केन्द्रीय मन्त्रालयों के सदस्यों के साथ मिलकर काम करती है। राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव अथवा अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

केन्द्र सरकार ने 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किया। इसमें एक अध्यक्ष एवं 5 सदस्य होते हैं। इन समस्त की नियुक्तियां केन्द्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग का मुख्य कार्य भारतीय संविधान तथा अन्य प्रचलित विधियों की परिधि में रहते हुए महिलाओं को प्राप्त अधिकारों के हनन से सम्बन्धित मामलों की जांच करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों और अन्य विधियों की समीक्षा करना तथा आवश्यक संशोधन हेतु संस्तुति करना है। यहाँ आयोग इस तथ्य की भी जाँच करता है कि किन क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। यह आयोग इस कार्य के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से अपने दायित्वों का निर्वाह करता है।

केन्दीय समाज कल्याण बोर्ड ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विशेष कार्य किया। इसकी स्थापना अगस्त 1953 में हुई थी। इस बोर्ड ने अनेक कार्यक्रम चलाए, जिसमें जरूरतमन्द महिलाओं के समाजिक, आर्थिक कार्यक्रम, महिलाओं और बालिकाओं के लिए शिक्षा के सघन पाठ्यक्रम तथा ग्रामीण-निर्धन महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने वाली परियोजनाएं, पारिवारिक परामर्श केन्द्र, बच्चों के लिए अवकाश शिविर, सीमावर्ती क्षेत्रों में कल्याण और बालवाड़ियां कामकाजी

महिलाओं के लिए शिशु सदन और हास्टल की सुविधा उपलब्ध कराना सम्मिलित है।

भारतीय सन्दर्भ में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का वास्तविक ज्ञान इस तथ्य से ही प्रकट हो जाता है कि अभी मात्र 54.16 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर हो पायी हैं, जबकि निरक्षरता के कारण ही ये भेद-भाव, शोषण व उपेक्षा के दलदल में धँसती रही है। इससे बाहर निकालने का कभी भी वास्वविक प्रयास परिवार और शासन-प्रशासन ने नहीं किये। समाचार पत्र-पत्रिकाओं, टीवी चैनल, सर्वेक्षणों व शोध ग्रन्थों से यह तथ्य उभरकर सामने आते हैं कि शासन को जटिल प्रक्रियाओं के कारण जब पुरूषों को आयु, जाति, निवास, गरीबी रेखा आदि के प्रमाण-पत्र बनवाने में शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और वे हारकर इनके अभाव में योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते, तब महिलाओं को उनका लाभ प्राप्त करना कहाँ तक सम्भव है। एक तो वे घर से बाहर निकल नहीं पाती हैं और परिवार के अधिकतर पुरूष उन्हें कार्यालय में जाने व महिला कार्यक्रमों का लाभ उठाने हेतु हतोत्साहित ही करते हैं।

ग्राम्यांचलों में महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है। त्रिस्तरीय पंचायतीराज के अन्तर्गत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व गोष्ठियों में उनके पतियों द्वारा होता है, जो निश्चय ही महिलाओं की जर्जर स्थिति का सूचक है। जैसे-जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाये जा रहे हैं, वैसे-वैसे महिलाओं के प्रति अपराधों का ग्राफ भी चढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के नीवनतम आंकड़े वास्तविकता को प्रदर्शित करते हैं। प्रति 24 मिनट में एक महिला यौन-शोषण, प्रति 43 मिनट में अपहरण, प्रति 54 मिनट में बलात्कार का शिकार हो रही हैं। भारत में 102 मिनट के अन्तराल में एक औरत दहेज उत्पीड़न की भेंट चढ़ जाती है। विभिन्न कानूनों के होते हुए भी महिलाओं को समान कार्य करने पर समान वेतन और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उन्हें उत्तराधिकार व सम्पत्ति में भी समानता प्राप्त नहीं है। 73 वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा अब तक मात्र ग्रामीण व नगरीय स्थानीय निकायों में ही महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण मिला है। संसद और राज्य विधान मण्डलों में इनका प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से कम ही है, जिससे वे महिलाओं के पक्ष में अपेक्षित सुधार नहीं करवा पा रही हैं। और वे न तो ही शासन द्वारा और न ही विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इस दिशा में गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं। विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं के यौन-उत्पीड़न, भद्दे कटाक्ष, अश्लील हरकतें आदि से सम्बन्धित आये दिन प्रकाशित होने वाले समाचार नारी अवदशा की वास्तविक स्थिति के सूचक हैं।

भारत में सन् 1901 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरूषों पर 972 महिलाओं का था जो धीरे-धीरे कम होते हुए सन् 2001 में 933 (कतिपय अपवादों को छोड़कर) पर पहुंच गया। वर्ष 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1991 व 2001 में लिंगानुपात क्रमशः 972, 964, 955, 950, 945, 946, 941, 930, 934, 927 तथा 933 था। इस प्रकार एक शताब्दी में प्रति हजार पुरूषों पर 39 महिलाओं की कमी आयी। भारत में लिंगानुपात का लगातार गिरता यह ग्राफ इस बात का सूचक है कि गर्भ में बच्चियां मारी जा रही हैं। बेजुबानों की हत्या के लिए विज्ञान के नये ढंग प्रयोग में लाये जा रहे हैं। यदि ऐसा न होता तो लिंगानुपात का ग्राफ इतना न गिरता। हालांकि लिंगानुपात के गिरते ग्राफ का कन्या भ्रूण हत्या की एक मात्र कारण नहीं है। इसके अन्य कारण शैशवावस्था, प्रारम्भिक बचपन एवं जनन काल में बालिकाओं/महिलाओं के मृत्यु दर का होना आदि भी जिम्मेदार हैं।

देश के विभिन्न राज्यों में लिंगानुपात भिन्न-भिन्न है और लिंगानुपात के मामले में कुछेक राज्यों की स्थिति बहुत अच्छी है, तो ज्यादातर राज्यों की स्थिति बेहद खराब है। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ लिंगानुपात अनुकूल है, अर्थात् स्त्रियों की संख्या पुरूषों से अधिक (1000 पुरूषों पर 1058 स्त्रियाँ) हैं, पुदुचेरी एक ऐसा राज्य है जहाँ लिंगानुपात लगभग सन्तुलित (1000 पुरूषों पर 1001 स्त्री) है। इसके विपरीत अन्य सभी 33 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात काफी प्रतिकूल है। अर्थात् स्त्रियों की संख्या पुरूषों से कम है। इन 33 राज्यों में भी 7 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों- पंजाब, हरियाणा, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली, चण्डीगढ़ और दमन व दीव की स्थिति तो सबसे अधिक खराब है, क्योंकि इनमें 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 875 से भी कम है।

लेखकगण ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों का गहन सर्वेक्षण किया। इस दौरान ग्रामीण और नगरीय दोनों ही क्षेत्र प्रेक्षित किये गये, जिसके आधार पर यह तथ्य प्रकट होता है कि संविधान के विभिन्न संशोधन, राष्ट्रीय महिला आयोग, महिलाओं की रक्षा के लिए बनाये गये कानून आदि प्रयास सरकारी अभिलेखों तक ही सीमित हैं, उनका आंशिक प्रभाव ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दृष्टिगोचर होता है। यदि ऐसा ही रहा तो लेख के प्रारम्भ में उद्धृत महिलाओं के लिए प्रयुक्त किये गये उत्कृष्ट, विशेषण, निश्चय ही अर्थहीन एवं अप्रासंगिक हो जायेंगे।

References :

1. Citizens fifth Report. 2007. Govt. of India, Home Ministry
2. Census. 2001. Director General of Census. Primary Census Abstract
3. B.L. Grover and Yashpal. Bhartiya Swatantra Sangram Tatha Samvaidhanik Vikas (S. Chand & Company, Ram Nagar, New Delhi)
4. Dr. B.L. Fadia. Antarashtriya Sambandh. Sahitya Bhawan Publication, Agra